प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –462/2023
अनवान : –

1. बिरू पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ईशरराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सोहनलाल पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. हिरादेवी पत्नी स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. विजय सिंह पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रविकान्त पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. नितू पुत्री स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. कमला पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. नरमी पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 13.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 31/22 की कुल 7.5120 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 426/419 की कुल 0.3540 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि वादी के दादा ईशरराम की संयुक्त आय से अर्जित भूमि है तथा उनकी नौतोड़ कब्जा काश्त की भूमि थी उक्त वाद भूमि को वादी के दादा ने प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज करवा दी थी।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 11 का प्रतिवादी स0 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादीगण स0 9 ता 11 वादी की एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 3 की ननद है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी स0 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है प्रतिवादी स0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण स0 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 31/22 की कुल 7.5120 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 426/419 की कुल 0.3540 हैक्ट भूमि में वादी , प्रतिवादी स0 2 व 3 प्रत्येंक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 1 व 4 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 31/22 की कुल 7.5120 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 426/419 की कुल 0.3540 हैक्ट [illegible] के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दू [illegible] अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ [illegible] दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 4 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 11 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 31/22 की कुल 7.5120 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 426/419 की कुल 0.3540 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, दोनों खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –462 / 2023
अनवान : –

1. बिरू पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ईशरराम पुत्र डुंगरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सोहनलाल पुत्र ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. हिरादेवी पत्नी स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. विजय सिंह पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. रविकान्त पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. नितू पुत्री स्व0 सेवाराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. कमला पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. नरमी पुत्री ईशरराम जाति सांसी निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 462 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी, प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 31 / 22 की कुल 7.5120 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 426 / 419 की कुल 0.3540 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, दोनों खातों में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक को 1 / 3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर